दिनांक–24.06.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में निश्चय योजना अन्तर्गत नली–गली योजना, नल–जल योजना, AMRUT अन्तर्गत जलापूर्ति योजना एवं नमामि गंगे योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही:–

(1) सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नली–गली के संबंध में नोडल पदाधिकारी, नली–गली योजना को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में जिन नगर निकायों से विवरणी प्राप्त हो गयी है उसका आकलन कर, स्थिति प्रतिवेदित करें।

साथ ही, नोडल पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे वैसे नगर निकायों को चिह्नित कर लें जहाँ अभी तक सभी वार्डों में निविदा नहीं कि जा सकी है। तदनुसार, तदालोक में उन से समन्वय स्थापित कर निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई करें।

[अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, नली–गली योजना]

(2) हर घर नल–जल योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि उक्त योजना में विभिन्न कार्य एजेंसियों यथा नगर निकाय, बुडको एवं PHED द्वारा नगर निकायों के कितने वार्डों में कार्य किया जाना है, की सूची तैयार कर अनुश्रवण किया जाय। साथ ही, कम प्रगति वाले नगर निकायों के साथ Video Conferencing करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

[अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, नल–जल योजना]

(3) नोडल पदाधिकारी द्वारा पटना नगर निगम से नल–जल योजना के House Connections की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की बात कही गयी। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम, को निदेश दिया गया कि वे नल–जल की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा स्वीकृत 72 वार्डों के Extension of Pipelines योजना में वार्ड वार स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

बैठक में उपस्थित पटना नगर निगम के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पटना नगर निगम को स्वीकृत 13 Stand alone जलापूर्ति संबंधी योजना से 4 योजनाओं का कार्य आवंटन दिया जा चुका है तथा शेष 9 योजनाओं की पुनर्निविदा की गयी है। निदेश दिया गया कि शीघ्र उक्त निविदाओं का निष्पादन कर, कार्य किया जाय।

[अनुपालन : नगर आयुक्त/मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम]

(4) नमामि गंगे योजना अन्तर्गत योजनाओं को Timeline के अनुसार संवेदकों से कार्य कराने पर बल दिया गया तथा Timeline के अनुसार कार्य नहीं करने पर नियमानुसार Liquidated Damage (LD) की राशि काट कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : बुडको]

(5) AMRUT योजना अन्तर्गत सभी नगर निकायों के जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बुडको द्वारा संवेदकों से प्राप्त work program के अनुसार कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। बुडको को निदेश दिया गया कि संवेदक द्वारा work program के अनुसार कार्य नहीं करने पर Agreement के सुसंगत Clause के अनुसार Liquidated Damage (LD) की कटौती कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : बुडको]

(6) शहरी निकायों में हर घर नल–जल योजना के अन्तर्गत विद्युत विपत्र एवं अन्य के भुगतान हेतु लाभुकों से एक निर्धारित राशि वसूलने हेतु water user charge policy प्रक्रियाधीन है जिसमें water meter का उपयोग नहीं है। फलतः AMRUT योजना में भी water meter लगाने की प्रासंगिकता प्रतीत नहीं हो रही है। तदनुसार बुडको को निदेश दिया गया कि AMRUT योजना के अन्तर्गत water meter का प्रावधान विलोपित कर देने से राशि की बचत का ब्यौरा दिनांक 26.06.2019 तक विभाग का उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही, इसकी विवरणी भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया कि कुल कितने water meter अब तक लगाए गए हैं।

[अनुपालन : बुडको]

(7) AMRUT Reforms अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के Backlog का status एवं उसे पूर्ण करने का plan सहित संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : PDMC (AMRUT)]

(8) वित्तीय वर्ष 2018–19 के AMRUT Reforms Incentive के Claims के क्रम में नोडल पदाधिकारी (AMRUT) एवं श्री रवि कुमार राठौड़, PDMC, को दिल्ली जाने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : नोडल पदाधिकारी (AMRUT)/PDMC (AMRUT)]

(9) बुडको द्वारा बताया गया कि मुंगेर जलापूर्ति योजना, औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–2 एवं जमालपुर जलापूर्ति योजना के Technical Bid खोलने कि तिथि क्रमशः 26 जून 2019, 28 जून 2019 एवं 2 जुलाई 2019 है। बुडको को निदेश दिया गया कि शीघ्र तीनों जलापूर्ति योजनाओं की निविदा का निष्पादन कर, कार्य आरम्भ कराया जाय।

[अनुपालन : बुडको]

(10) बुडको को निदेश दिया गया कि AMRUT योजना अन्तर्गत जिन स्थलों का NOC प्राप्त नहीं हुआ है अथवा किसी स्थल पर कार्य करने में अवरोध है, उसकी योजनावार सूची बना कर दिनांक 25.06.2019 तक विभाग में उपलब्ध करायी जाय।

[अनुपालन : बुडको]

(11) AMRUT योजना अन्तर्गत नगर निकाय के अंशदान हेतु विभाग द्वारा निर्गत राशि का अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर नगर निकायों को बुडको को fund transfer करने संबंधी पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : प्रशाखा–03]

(12) बैठक में बुडको को AMRUT योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : बुडको]

(13) PDMC (AMRUT) को निदेश दिया गया कि वे Agreement के ToR के अनुसार सभी कार्य सम्पादित करें।

[अनुपालन : PDMC (AMRUT)]

(14) PDMC (AMRUT) द्वारा बताया गया कि Project Management Information System (PMIS) का software develop कर दिनांक 15.07.2019 को Presentation दिया जाएगा। विभाग में उक्त Presentation अविलम्ब देने हेतु निदेश दिया गया।

[अनुपालन : PDMC (AMRUT)]

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

9/7/2019
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 03/AMRUT-03-08/2017 1788 पटना, दिनांक– 10/07/19

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd./ TL, Namami Gange /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।

9/7/2019
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग